

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 719वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
2. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
3. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेन्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 10747/2023 Shri Arun Agrawal, Director, M/s Oyster Realty Private Limited, Khasra no. Block No. 08 Manoramaganj (Palasyahana), Tehsil and District-Indore (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Cum Residential High-Rise Apartment “The Oyster Vista” in an area of 1.023 ha. (46378.45 sq.m.), Village-Indore City, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8(a)Building Construction Projects. B-2.**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Cum Residential High-Rise Apartment “The Oyster Vista” in an area of 1.023 ha. (46378.45 sq.m.), Village-Indore City, Tehsil-Indore, District-Indore (MP).

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and PP's Authorizes representative Shri Sanjay Goyal.

On Parivesh portal PP has submitted following information:-

SN	Information Required	Details
1.	Project Name	Shri Arun Agrawal, Director, M/s Oyster Realty Private Limited, Khasra no. Block No. 08 Manoramaganj (Palasyahana), Tehsil and District-Indore (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Cum Residential High-Rise Apartment “The Oyster Vista” in an area of 1.023 ha. (46378.45 sq.m.)

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

		(Khasra No.), Village-Indore City, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [447440] <u>Cat. 8(a) Building Construction Projects.</u>
2.	Description of Project	Oyster Reality Private Limited is proposing a Commercial Cum Residential High-Rise Apartment “The Oyster Vista” at Block No. 08 Manorama Ganj, Village Palasyahana, Tehsil and District Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is 46378.45 m ² .
3.	Area details as per Form -1	Total Plot Area : 10238.80 m ² Total Built up Area –46378.45m ² Area under Road widening – 1153.60 m ² Net Planning Area – 9085.20 m ² Greenbelt area – 913 m ² Open Parking –21 Nos. Stilt Parking- 94 Nos Basement Parking- 136 Nos. Mezzanine Parking-60 Nos. Project Cost - 60 Crore
4.	Project Proposal	New.
5.	COMMITMENT	Undertaking Date:21.10.2023 I hereby Declare that the existing construction are present at the site, we are committed that which will be dismantled before the starting of construction of Commercial Cum Residential High Rise Apartment Project “Oyster Vista” at Manoramaganj, Indore.
6.	Project Cost	6000 Lakhs.
7.	Undertaking No Construction start at site	PP Submit undertaking affidavit dated 23/09/2023.
8.	Lat./Log. As per Form -1	A 22°43'18.24"N 75°53'9.18"E, B 22°43'16.55"N 75°53'12.99"E C 22°43'14.19"N 75°53'11.64"E, D 22°43'15.79"N 75°53'7.71"E
9.	NBWL Application	No
10.	Building Permission	Letter No. – 0152/4616/2023 dated 19/09/2023.
11.	T& CP Permission	Letter dated 17/11/2022. Copy uploaded on Parivesh Portal.
12.	Extra Treated Water	Total waste water generation is 79.202 KLD.
13.	Water NOC	Letter dated 06/10/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
14.	MSW NOC	Letter dated 06/10/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
15.	Fire NOC	Letter dated 06/10/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
16.	Municipal Solid Waste	150.1 TPA.
17.	STP capacity	90 KLD.
18.	DG set details	2 X 200 KVA.
19.	Parking details	227 ECS.
20.	Env. Consultant	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

During presentation PP submitted that some structures are existing within the project area actually they are old bungalows which shall be proposed for demolished, for permission a letter has been written to Nagar Nigam, Indore .

After presentation the committee asked to submit following details:

1. Re-calculate occupancy and floating population in project area .
2. Submit sun-path study details.
3. PP commitment that STP treated water shall be utilized in the car washing and gardening purposes etc.
4. PP commitment that possibility of green area enhancement from 10% to 12%.
5. Submit revised CER study as suggested by committee which shall include CER work as-
 - In the local ITI, training of sanitary pad manufacturing at adjacent village's SHG and equipped them manufacturing machine.
 - At Naharjhabua village- infrastructure development, and ambulance distribution in the local PHC, Bore well, of the Naharjhabua, veterinary camps and agriculture improvement practices.
 - Aganwadi infrastructure development at Bhartiya village.

The project proponent submitted clarification on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 705th meeting held on 27.12.2023.

The query reply was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and PP's Authorizes representative Shri Sanjay Goyal. PP submitted that following details about the projects:

- The Revised Occupancy and floating population.
- Presented Sun Path Study.
- PP submitted that will utilize STP treated water in car washing, gardening and flushing purposes and we have written a letter to the Sanghi Motors, (an authorised TATA Service Centre, Indore) to utilize extra treated water in their workshop for car washing, flushing etc purposes.
- We hereby commit that we will develop 10-12 % green area in our premises.

After presentation the committee asked PP to submit following details for further consideration of the project:

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

- गूगल ईमेज के अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट एरिया के अंदर पेड़ लगे हुये दिख रहे हैं, अतः इनकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth के फोटोग्राफ के साथ यह प्रस्तुत करें कि कौन से पेड़ कटेगें और कौन से पेड़ संरक्षित किये जावेगें, जो पेड़ काटे जाने हैं उनको जियो टेग करते हुये नक्शें में अंकित करते हुये दशार्थ ।
- पुनर्रक्षीत पौधा रोपण स्कीम प्रस्तुत करें ।
- जो पेड़ काटे जाने हैं यदि उनमें आम, पाकड़, बरगद की प्रजातियाँ, पुत्रनजीवा, कुसुम, महूआ, जामुन, मौलश्री प्रजाति या वह वृक्ष जिनकी गोलाई 80 से.मी से अधिक हो तो 20 गुना अधिक वृक्ष लगाने का प्रस्ताव जियो टेग करते हुये नक्शें में अंकित कर प्रस्तुत करें ।
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट एरिया में जनसंख्या के अनुसार पार्किंग एवं जन-सुविधाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- प्रोजेक्ट में तीन ब्लॉक हैं, प्रत्येक चौथे फ्लोर का स्टैण्डर्ड डेटा से तुलना करते हुये तालिका में प्रस्तुत करें ।
- प्रोजेक्ट में ग्रीन बेल्ट 10 से 12 प्रतिशत प्रस्तावित किया है, अतः किस तरह से किया जायेगा इसे मानचित्र प्रस्तुत करें ।
- प्रोजेक्ट में ग्रामों के क्लस्टर को शामिल करते हुये रिवाईस्ड सीईआर प्रस्तुत करें ।

2. **Case No 10612/2023 Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Imjhira River Sand Quarry in an area of 4.89 ha. (79218 cum per year) (Khasra No. 236), Village-Imjhira, Tehsil-Tendukheda, District-Narsimhapur (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 684वीं बैठक दिनांक 30/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 100 मीटर पर एक स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है । अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side” अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

प्रकरण समिति की 703वीं बैठक दिनांक 18/12/23 को रखा गया, जिसमें पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कार्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

प्रकरण समिति की आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑनलाईन मे. कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा E.E., R.E.S. कार्यालय का पत्र क्रमांक 34 दिनांक 17/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि **दूरा ब्रिज 235 पर है परन्तु इस संबंध में अनापत्ति प्रस्तुत नहीं कर सके। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।** सेड गार्डलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कार्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

3. **Case No -10382/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tajpura (Bapcah) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Tajpura, Tehsil- Maksoodangarh, District-Guna (MP)**

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, एवं श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, ऑनलाईन जिला – गुना, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

क्रियेटिव इंवारा सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 30/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस.आर. के पृष्ठ क्रमांक 29 एवं सरल क्रमांक 19 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान पार्वती नदी पर ग्राम **ताजपुरा** के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खदान क्षेत्र में पूर्णतः जल भराव देखा गया एवं रपटा/ब्रिज 36 मी. की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में 250मी. का गैर खनन क्षेत्र सरफेस मेप में दर्शाया है। परियोजना प्रस्तावक /खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च,अप्रैल एवं मई माह में नदी में पानी नहीं रहता है। जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, सुश्री स्वाति नामदेव, ई.आई.ए. कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारा सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा समिति समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा ममबनजपअम म्दहपदममत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 21 दिनांक 05/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंध दर्शाते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.96 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.97 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 25,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम ताजपुरा (बापचा) के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	25000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	400

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

		4-5 पंक्ति – कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300
2	ग्राम- ताजपुरा (बापचा) के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	5000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. **Case No -10417/2023 Shri Janmejy Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Laharghat (Khokar) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (10,000 cum per year) (Khasra No. 106, 107), Village-Lahar Ghat, Tehsil-Guna, District-Guna (MP)**

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, जिला – गुना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस. आर के पृष्ठ क्रमांक 09 एवं सरल क्रमांक 08 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान सिंध नदी पर ग्राम लहरघाट (खोंकर) के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षण किया गया प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 119 मी पर एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। पर्यावरण प्रस्तावक ब्रिज से सुरक्षित दूरी जहां से उत्खनन किया जा सकता है, के संबंध में संबंधित विभाग से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमलें द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, सुश्री स्वाति नामदेव, ई.आई.ए. कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). द्वारा समिति समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा **Executive Engineer** लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 21 दिनांक 05/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300-300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 800 मी. तक रेत उत्खनन प्रतिबंध दर्शाते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया जिसे कमेटी ने अनुशंसित किया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.04 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दश ठतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 15,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लहरघाट (खोंकर) के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	15000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	150

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

	स्थल उपलब्धता अनुसार	4-5 पंक्ति – कटंग बांस	100
1		6 पंक्ति – गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	50
2	ग्राम- लहरघाट (खोंकर) के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **Case No 10411/2023 Shri RAJENDRA BAJPAL, OIC-MPSMCL OIC MPSMCL (प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल (172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Amkheda Sukha Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 114), Village-VILLAGE- AAMKHEDA SUKHA, TEHSIL-NATERAN District-Vidisha (MP)**

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

प्रस्तावित खदान का समिति की 685वीं बैठक दिनांक 03/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्र. 10413/23) रकबा 5.00 हे. की होना परिलक्षित है । जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 10.00 हे. होता है तथा प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया, जिसमें खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हो के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमलें द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष आज दिनांक 29/01/24 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पाण्डा, on-line उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यपालन यंत्री कार्यालय , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण का पत्र क्रमांक 70 दिनांक 10/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि स्वीकृत क्षेत्र से सगड़ पुल की दूरी 500 मीटर से अधिक है जिससे रेत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि एक रोड ब्रिज लीज के अंदर है और दूसरा रोड ब्रिज लीज के पूर्वी ओर है परन्तु इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक अनापत्ति प्रस्तुत नहीं कर सके।

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा ।

**719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024**

6. Case No 10146/2023 Shri HIMMAT SISODIA, Junior Manager, THE M P STATE MINING CORPORATION LTD., Paryavas Bhawan, Block No A 2nd Floor, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.024 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Makarkhera, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP).

पूर्व में यह प्रकरण प्रकरण समिति की पूर्व की 667वीं बैठक दिनांक 08/8/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें निम्न जानकारी परियोजना प्रस्तावक से चाही गई थी।

प्रकरण का परीक्षण :-

➤ प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू-भरू प्रकृति का होना दर्शाया गया है जबकि खनन योजना में रिवर वेड माईनिंग दर्शायी गई है। अतः जिला खनिज अधिकारी स्थल पर स्वतः देखकर परीक्षण करके स्पष्ट अभिमत के साथ समिति को अवगत करायेगे तदुपरांत आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

प्रकरण समिति की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई:-

1. खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर खदान क्षेत्र के 03 वर्षों का उत्पादक विवरण प्रस्तुत करें।
2. खनिज अधिकारी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त करें कि मार्च एवं अप्रैल माह में नदी खदान क्षेत्र में पानी रहता है अथवा नहीं?

उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, द्वारा अपने पत्र. **क्रमांक 1895 दिनांक 12/01/2024** भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें उल्लेख है की 03 वर्ष में कोई उत्पादन नहीं लिया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि माह मई जून में खदान क्षेत्र पानी से बाहर रहता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों (तैतनइ), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दश ठोसमकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.58 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.21 लाख प्रति वर्ष।
1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम माकड़खेड़ा शासकीय विद्यालय के पालक शिक्षक संग समिति में राशि जमा कराई जाएगी	80,000

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2435 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 5 से 1 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज अर्जुन, एवं जामुन, बांस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	535
2	गांव के पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जायेंगे	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	900

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

आस-पास के गांवों में वितरित किया जाना (पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये सीताफल, निम्बू, बेल एवं अन्य स्थानीय	1000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No 10413/2023 Shri RAJENDRA BAJPAL, OIC-MPSMCL OIC MPSMCL (प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल (172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Jirapura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 241, 299), Village-Jirapur, Tehsil-Shamshabad, District-Vidisha (MP).**

प्रस्तावित खदान का समिति की 685वीं बैठक दिनांक 03/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्र. 10411/23) रकबा 5.00 हे. की होना परिलक्षित है। जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 10.00 हे. होता है तथा प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हों, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष आज दिनांक 29/01/24 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पाण्डा, on-line उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 12/01/2024 खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कार्डिनेट प्रस्तुत किये गये, सलाहकार द्वारा बताया गया कि रोड ब्रिज / स्टॉप डैम लीज एरिया से लगभग 171 मीटर की दूरी पर है परियोजना प्रस्तावक द्वारा 01 किलोमीटर तक का क्षेत्र सेटबैक के रूप में छोड़ा गया है एवं नॉन माइनिंग एरिया लगभग 3.7 hac. प्रस्तावित किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 1800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.64 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.30 लाख प्रति वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. स्टॉप डेम/ब्रिज से लीज क्षेत्र की सीमा 01 कि.मी तक नॉन माईनिंग हेतु प्रतिबंधित रहेगा।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सत्पदाहत के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम जीरापुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

8. **Case No 10763/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry in an area of 2.845 ha. (51210 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Mudehna, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191]**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 27/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager Online ए.एम.ओ दिवाकर चतुर्वेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारी मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Gayaprasad Anjne, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry in an area of 2.845 ha. (51,210 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Mudehna, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.- 15, एरिया – 2.845 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम— मुडेहना, तह.—मानपुर, जिला—उमरिया (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी-2 श्रेणी,	
सैद्धान्तिक सहमति	पत्र क्र0. 756 दिनांक 26/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान <u>डेंगराहा नाला</u> में स्थित है।	
पूर्व ई.सी. स्थिति	सिया से पुरानी ईसी क्रमांक 7126/2020	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 51,210 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 51,210 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 978 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.845 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 978 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर	

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया का पत्र क्र०. 2392 दिनांक 20/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 1.41 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 978 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बड़वार जिला उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 11/06/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 76 सरल क्रमांक 11 में उल्लेखित है।

समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि खदान क्षेत्र जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में मात्र चार क्वार्टिनेट दर्शाये गये हैं जिससे कि दर्शायी गई केएमएल की सही आकृति नहीं बनती। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी से खदान क्षेत्र के अतिरिक्त क्वार्टिनेट प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के क्वार्टिनेट प्राप्त कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन कराते हुए। जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं अतिरिक्त क्वार्टिनेट पर आधारित केएमएल प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण पर विचार किया जा सके।

प्रकरण समिति की आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे० ओसियो इवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.)।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा एम ओ का पत्र क्रमांक 68 दिनांक 12/01/2024 के द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पहले खदान क्षेत्र के डी. एस.आर. में 06 क्वार्टिनेट थे अब 31 क्वार्टिनेट अतिरिक्त प्रस्तुत किये हैं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र से ब्रिज की दूरी लगभग 650 मी. पर है अतः 01 कि.मी का सेटबैक देने के बाद हैं 1.21 नॉन माईनिंग एरिया शेष बचता है, जिसमें से रेत का उत्पादन लगभग **45,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जाती है।**

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.66 लाख प्रति वर्ष।
- खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

5. ब्रिज से लीज क्षेत्र की सीमा 01 कि.मी तक नॉन माईनिंग हेतु प्रतिबंधित रहेगा।
6. नदी के किनारे संघन वृक्षारोपण है जिसे कोई क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
8. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
9. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
10. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.35 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए गवर्नमेंट मिडिल विद्यालय भरोला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	1,35,000
स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति को प्रदायित राशि।	

11. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3415 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 5 से 1 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज अर्जुन, एवं जामुन, बांस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	15
2	ग्राम मुड़ेहना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3400

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. **Case No. - 10374/2023 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Machhawali Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (7,500 cum per year) (Khasra No. 1645), Village- Machhaoli, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (M.P.)**

परियोजना प्रस्तावक श्री बाला मेहरा, श्री वीरेन्द्र वर्मा खनिज निरीक्षक, जिला – शिवपुरी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.). के द्वारा दिनांक 30/09/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शिवपुरी के अनुमोदित डी.एस.आर. के पृष्ठ क्रमांक 10 एवं सरल क्रमांक 05 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान बिलरु नदी पर ग्राम मछावली के निकट 3.50 हे. क्षेत्रफल पर 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मैप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला शिवपुरी द्वारा अपने पत्र क्र. 1176 दिनांक 29/09/23 द्वारा खदान क्षेत्र के नवीन अतिरिक्त एवं संशोधित अक्षांश-देशांश प्रस्तुत किये गये। संशोधित सूची पत्र/ प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अक्षांश/देशांश के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खदान क्षेत्र में पूर्णतः जल भराव देखा गया एवं रोड ब्रिज 219 मी. की दूरी पर स्थित है जिसके संबंध में 500 मी. का गैर खनन क्षेत्र सरफेस मैप में दर्शाया है। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि मार्च, अप्रैल एवं मई माह में नदी में पानी नहीं रहता है। जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हो, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, सुश्री स्वाति नामदेव, ई.आई.ए. कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा समिति समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय **कार्यपालन यंत्री** लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर का पत्र क्रमांक 19 दिनांक 05/01/2024 के अनुसार **निर्मित पुल के दोनो ओर अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 300-300 मी. दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें।** पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतः 500 मी का सेटबैक देने खनन कार्य प्रस्तावित किया है जिससे वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-7,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. ब्रिज से लीज क्षेत्र की सीमा 500 मी. तक नॉन माईनिंग हेतु प्रतिबंधित रहेगा ।
4. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
5. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
6. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 25,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मछावली के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	25000

9. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	------------------------------	---------------------	---------------------

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	250
		4-5 पंक्ति — कटंग बांस	150
		6 पंक्ति — गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	ग्राम— मछावली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3700
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10590/2023 Shri Lokesh Patidar, Lessee, R/o Chikalaa Marg Colony, Ward No. 1, Kukshi, District-Dhar (MP)-453331, Prior Environment Clearance for Sondwa Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (17640 cum per year) (Khasra No. 1123), Village-Sondwa, Tehsil- Sondwa, District- Alirajpur (MP). DEIAA to SEIAA Case.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

प्रस्तावित खदान की 692वीं दिनांक 19/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । यह प्रकरण समिति के समक्ष री-एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र क्र०. 264 दिनांक 05/08/17 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री-एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें :-

1. Land status/form- PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई एवं बेरियर जोन को खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 120 लगाये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	समाजीक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-17,640 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.01 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पिट्स में बेंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम सोंडवा विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी ।	40,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	20000/-
Total	60,000/-

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 400 मीटर परिधि तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	400
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	सोंडवा में स्थित खेल मैदान के चारों ओर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	100
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आंवला , सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे। उक्त प्रकरण अनुसंशा निम्न बिंदुओं के निर्णय सिया स्तर पर किये जाने के पश्चात् की जाती है।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुसंशा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुसंशा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. **Case No 10678/2023 Shri ARJUN SHRIVASTAVA, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल, Apollo paradise, Bawadiya Kalan, Near Minal Enclave, Gulmohar, Huzur, Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Badgaon-3 Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (49500 cum per year) (Khasra No. 63), Village-Badgaon-3, Tehsil- Nasrullaganj, District- Sehore (M.P.).B-2**

प्रस्तावित खदान का समिति की 697वीं बैठक दिनांक 11/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

1. खदान का वर्ष 2022 में रेत का कितना उत्पादन हुआ, इसकी जानकारी प्रस्तुत करें।
2. स्पष्ट करें की पूर्व में प्रदाय पर्यावरण स्वीकृति के बिन्दु क्रमांक-04 में खनन कार्य में 02 मीटर गहराई अनुसंशा की गई थी। जबकि नवीन डीएसआर में रेत खनन कार्य में 2.5 मीटर गहराई दर्शाई गई है।
3. पूर्व में प्रदाय पर्यावरण स्वीकृति के बिन्दु क्रमांक-08 में 4800 पौधों का प्रस्ताव दिया गया था। अतः इनका पालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के प्रस्तुत करें।
4. पूर्व में प्रदाय पर्यावरण स्वीकृति के बिन्दु क्रमांक-09 में सीईआर योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों का पालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अर्जुन श्रीवास्तव, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। **एमओ का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 09/01/2024 में पहले खदान की गहराई 2 मी. दर्शायी गयी थी अब 2.5 मी. गहराई अपडेट हो चुकी है एवं** नवीन डीएसआर में रेत खनन कार्य में 2.5 मीटर गहराई दर्शाई गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 49,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.50 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.26 लाख प्रति वर्ष ।
2. नर्मदा नदी होने कारण खनन कार्य मेन्यूअली किया जावेगा।
3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का कम्पलाईन्स की पुष्टी माईनिंग अफसर से कराया जायें।**
4. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
5. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
6. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, अतरालीया एवं ग्राम कठोथिया - राबियावाद के विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	50,000

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम कठोथिया राबियावाद के विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में - अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	50,000
Total	1,00,000

9. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर तट से (पंक्तियों में 3-1)	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	300
2	ग्राम बडगांव के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024**

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. **Case No 10691/2023 Shri Sushil Pathak, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Baroda Sand Quarry in an area of 2.39 ha. (21510 cum per year) (Khasra No. 498), Village-Baroda, Tehsil-Dhimarkheda, District-Katni (MP)-B2.**

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो बेलकुंड नदी पर स्थित है, जिसका प्रस्तुतीकरण समिति की 098वीं बैठक दिनांक 07/12/2023 को हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि माईनिंग प्लान के चारों कार्डिनेट से निर्मित केएमएल फाईल में अंतर आ रहा है। इस कारण से समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कार्डिनेट शामिल कर पुनः केएमएल फाईल प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण का आंकलन कर समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक सत्येन्द्र सिंह खनिज अधिकारी श्री आर.के कैथल, सहायक खनिज अधिकारी श्री सुमित गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनिज अधिकारी के **कमांक 2692 दिनांक 06/12/2023** खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कार्डिनेट प्रस्तुत किये गये, परीक्षण करने पर पाया कि खदान क्षेत्र के 01 किमी. तक कोई रोड ब्रिज/संरचना स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-21,510 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 3.18 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.18 लाख प्रति वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक शाला घुघरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी।	60,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2870 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से पंक्तियों में 5 से 1 स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज अर्जुन, एवं जामुन, बांस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
2	ग्राम बरौंदा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय	2470

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

	प्रजातियाँ	
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।	
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।	
टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. **Case No 10617/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Jharkund Sand Mine in an area of 0.95 ha. (4320 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jharkund, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 684वीं बैठक दिनांक 30/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

प्रकरण सिया की 813वीं बैठक दिनांक 13/10/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र के बीचोबीच स्थित एक स्टॉप डेम स्ट्रक्चर मय रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 Kilometer (1 Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on downstream side” अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर मय रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण समिति की 703वीं बैठक दिनांक 18/12/23 को रखा गया। पर्यावरण प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत परिलक्षित रपटा/ब्रिज से निर्धारित सुरक्षित दूरी जहां से रेत उत्खनन का कार्य किया जा सकता हो, के संबंध में संबंधित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ब्रिज कार्पोरेशन आदि) से अभिमत प्राप्त नहीं हो सका है। अभिमत हेतु माईनिंग कॉर्पोरेशन से संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा चुका है। उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह में प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. के महाप्रबंधक श्री आशुतोष टेमले द्वारा पत्र क्रमांक 1184 दिनांक 18/12/2023 के माध्यम से एक सप्ताह का समय चाहा गया है एवं प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

प्रकरण समिति की आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल खण्डेलवाल एवं उनके पर्यावरण सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स. विकास प्राधिकरण, बैतूल के पत्र क्रमांक 2434 दिनांक 15/12/2023 के अनुसार निर्मित पुल के दोनों ओर अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500-500 मी. दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें। सेंड माईनिंग गाईडलाइन्स वर्ष 2016 एवं 2020 के अनुसार 500 मीटर का नॉन माईनिंग छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

14. **Case No 10731/2023 Ms. Sangeeta Thakur, Lessee, R/o Village-Bamhani, Tehsil-Amla, District-Betul (MP)-460661, Prior Environment Clearance for Bramhanvada Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5255 cum per year) (Khasra No. 190/2), Village-Brahmanwara, Tehsil-Amla, District-Betul (MP) [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का समिति की 706वीं दिनांक 28/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये:-

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

1. खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नहीं किया गया है अतः फेंसिंग कार्य का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करें ।
2. उपर्युक्त स्थलों पर गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक के निर्माण करने का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करें ।
3. पुनर्रक्षित बैंच वाईस प्रोडक्शन मेप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक सुश्री संगीता ठाकुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुन मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलैण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—5255 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कंपीटल राशि रु. 4.35 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.61 लाख प्रति वर्ष ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम ब्राम्हणवाडा स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 06 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	20,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	20,000/-
Total	40,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 980 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड, महुआ अचार आदि	460
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर (855 मीटर तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	250
3	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण- 50 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	220

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभार्थी व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. **Case No 10298/2023 Shri Nahar Patharn, Junior Manager, Ward no. 03, Rambhapur Road, POST- Meghnagar, Jhabua. Prior Environment Clearance for Karju Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (24000 cum per year) (Khasra No. 373, 896/1), Village-Karju, Tehsil-Moman Badodiya, District-Shajapur (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 678वीं बैठक दिनांक 13/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रकरण के परीक्षण दौरान समिति ने पाया कि यह खदान कालीसिंध नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने तथा खदान क्षेत्र डाउन स्ट्रीम में चेक डेम 287 मी. की स्थिति में है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस मेप में सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स 2020 के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ते हुये सेटबैक नहीं दर्शाया गया है, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये की सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् आपके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

प्रकरण का समिति की 696वीं बैठक दिनांक 22/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नाहर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. एवं श्री गणेश सोनारे, मानचित्रकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री मोहम्मद आरिफ खान, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शाजापुर का पत्र क्रमांक 127 दिनांक 15/01/2024 के अनुसार :-

1. रिवर बेड लेवल से 01 मी. उपर तक ही रेत खनन की जावें।
2. निर्मित वियर से 248 मी. दूरी के पश्चात ही रेत खनन किया जावें।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-24000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.91 लाख प्रति वर्ष ।
2. रिवर बेड लेवल से 01 मी. उपर तक ही रेत खनन की जावें।
3. निर्मित वियर से 248 मी. दूरी के पश्चात ही रेत खनन किया जावें।
4. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
5. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
6. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.13 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक शाला घुघरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	13,400/-

9. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	------------------------------	---------------------	---------------------

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	300
		4-5 पंक्ति — कटंग बांस	500
		6 पंक्ति — गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	400
2	ग्राम— बसईमलक-1 के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. **Case No 10740/2023 Shri Arun Tiwari, Lessee, R/o Station Road, Barbatpur, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)-460440, Prior Environment Clearance for Jampani Stone Quarry in an area of 1.214 ha. (9498 cum per year) (Khasra No. 42/1, 42/3), Village-Jampani, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP) [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन समिति की 704वीं बैठक दिनांक 19/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परियोजना प्रस्तावक को

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अरुण तिवारी

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई एवं बेरियर जोन खुदा है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—9498 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.84 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.82 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे ।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत जामपानी में अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु प्रस्तावित योगदान राशी भू प्रवेश के 6 माह के अन्दर प्रदान की जावेगी ।	30,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने हेतु पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	20000/-
Total	50,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1295 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड, अचार आदि	200
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	150
3	ग्राम शाहपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण— 50नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	695

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

17. **Case No 10646/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rajmilan-2 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (41880 cum per year) (Khasra No. 1706), Village-Raja Sarai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 31/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारेो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rajmilan-2 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (41,880 cum per year) (Khasra No. 1706), Village-Raja Sarai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [435396].
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 1706, एरिया – 4.00 हे. शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – राजा सरई तह.– सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).
परियोजना श्रेणी	बी. 2 श्रेणी,
सैद्धान्तिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान गरा नदी में स्थित है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 41,880 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 41,880 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1716 दिनांक 20/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

अन्य खदानों का विवरण	हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1716 दिनांक 20/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1716 दिनांक 20/05/2023 अनुसार 100 मीटर की दूरी पर 06 मकान स्थित है। घनी बस्ती 100 मी. की अधिक दूरी पर है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत रजमिलान, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 21 के सरल क्र0 – 23 पर दर्ज है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पास लगभग 80 मी लम्बा एक ब्रिज है, जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।** सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक अभिमत प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, सुश्री स्वाति नामदेव, ई.आई.ए. कार्डिनेटर क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा समिति समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय **कार्यपालन यंत्री** लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा का पत्र क्रमांक 1660 दिनांक 10/01/2024 के अनुसार निर्मित पुल के दोनों ओर अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500-500 मी. दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतः 500 मी का सेटबैक देने 3.57 हे. माईनेबल एरिया उपलब्ध होता है, जिससे वांछित रेत की मात्रा उपलब्ध होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-41880 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 4.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.83 लाख प्रति वर्ष ।
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. **निर्मित पुल के दोनों ओर अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500-500 मी. दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें।**
5. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
6. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
-----------------------------------	---------------

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम रजमिलान, तहसील माडा -, में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जावेगा, कॉलम में प्रदर्शित धन राशि 8प्रस्तावित परियोजना से संबंधित विद्यालय के पालक शिक्षक संघ, को भू प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा कर सूचना माईनिंग-ऑफिसर को दी जावेगी।	90,000
--	--------

10. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से) से 13 पंक्तियों में (	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	650
2	ग्राम रजमिलान के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4150

✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप :	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. **Case No 10453/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय (कार्यालय भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Sirwali Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (3750 cum per year) (Khasra No. 17), Village-Sirawali, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 703वीं बैठक दिनांक 11/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। समिति द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों को सेक की आगामी बैठक में समीक्षा हेतु रखा जायें।

प्रकरण समिति की आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र वाजपेयी, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी श्री पंकज वानखड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल ईमेज के परीक्षण करने पर पाया कि खदान क्षेत्र से ब्रिज गूगल ईमेज का परीक्षण किया गया निर्धारित सीमा में कोई संरचना स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-3,750 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 3.18 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.17 लाख प्रति वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहत कर शर्तों का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Prone Breeding Center** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय हाई स्कूल , सिहोरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम सिरावली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित			

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. **Case No 10724/2023 Shri Abdul Khan, Lessee, R/o Village-Raghunathpur, Tehsil-Veerpur, District-Sheopur (MP)-476226, Prior Environment Clearance for Raghunathpur Soil Quarry in an area of 1.432 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 17, 15/2 min-5), Village-Raghunathpur, Tehsil-Beerpur, District-Sheopur (MP). DEIAA .**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 16/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Abdul Khan, Lessee, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Abdul Khan, Lessee, R/o Village-Raghunathpur, Tehsil-Veerpur, District-Sheopur (MP)-476226, Prior Environment Clearance for Raghunathpur Soil Quarry in an area of 1.432 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. - 17, 15/2 min-5), Village-Raghunathpur, Tehsil-Beerpur, District-Sheopur (MP) [438390]
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-17, 15/2 min-5, एरिया- 1.432 ha., निजी भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम- रघुनाथपुर, तहसील - बीरपुर, जिला- श्योरपुर (म.प्र.).
CTO	वैद्यता 19/01/2024.
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 11798 दिनांक 28/09/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (Semi-mechanized in In Soil Case).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया से ई.सी. जारी की गई थी।
उत्पादन क्षमता	स्वाईल - 2,000 घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8395 दिनांक 23/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.432 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1027 (ए) दिनांक 10/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1027 (ए) दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत- रघुनाथपुर जिला – श्योरपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र. 08 दिनांक 17/04/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान के अंदर कुछ पेड लगे हुये हैं एवं खदान क्षेत्र में चिमनी भी लगी हुई है एवं दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण दिशा- पक्का रोड लगभग 65 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 18 के सरल क्रमांक – 29 पर दर्ज है।

प्रकरण का परिक्षण

ADS- समिति द्वारा डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई । प्रकरण के परिक्षण के दौरान ई.सी. की शर्तों के बिन्दुओं को देखा गया :-

- प्रश्नाधीन खदान में फेंसिंग की स्थिति अस्पष्ट है। खदान में फेंसिंग की खंभों के बीच की दूरी लगभग 20 से 25 फिट देखी गई एवं कई पौधे पॉलिथिन के साथ दिखाई दे रहे हैं अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि पॉलिथिन हटाकर पौधा रोपण किया जाये।
- पूर्व डिया की ई.सी. की शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- परियोजना प्रस्तावक फेंसिंग के खंभों के बीच की दूरी 10 फिट रखने प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- समिति के द्वारा सुझाव अनुसार पुनर्रक्षित पौधा रोपण का प्रस्ताव।
- स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सामाजिक एवं पर्यावरण के अनुरूप क्षेत्र में कार्य किया जावे व ईएमपी/सीआर में भी प्रस्तुत किया जावे।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

- प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे कच्ची एवं पक्की सड़क) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मैप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रेलम (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।
पक्का रोड खदान से 75 मी. 25 का सेट बेक एवं पूर्व दिशा में केनाल से 65 मी. 35 का सेटबेक प्रस्तावित किया है। खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाईल –2000 घनमीटर/वर्ष ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.74 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.95 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
गांव रघुनाथ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो बेड व 2 व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई जावेंगी।	26,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	10000/-
Total	36,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1670 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगा हाइब्रिडए महुआ अचार आदि	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	70
3	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण- 50नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार,	50

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

		नीम, चिरोल आदि	
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे— आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1250
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राइजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

20. Case No 9368/2022 M/s Maa Narmada Crusher, Shri Ram Lal Mandloi, Prop., Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha. (8858 Cum per annum) (Khasra No. 46/1), Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) (EIA)

प्रस्तावित खनिज पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के वॉयलेशन ईआईए का प्रस्तुतीकरण समिति की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। समस्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा प्रकरण में MOEF & CC का नोटिफिकेशन दिनांक 08 मार्च 2018 एवं दिनांक 07 जुलाई 2021 के परिप्रेक्ष्य में निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

- बिना पर्यावरण स्वीकृति के माईन संचालन करने के फल स्वरूप हुये इकोलॉजिकल डेमेज का आंकलन कर रेमेडिएशन प्लान एवं इसके इम्पलिमेंटेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें।
- इसी प्रकार Natural and community resources augmentation plan इसके इम्पलिमेंटेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें तथा
- इस वाईलेशन की अवधि में परियोजना संचालन से प्राप्त आर्थिक लाभ की गणना करें।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रामलाल मंडलोई एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत इकोलॉजिकल डेमेज का आंकलन कर रेमेडिएशन प्लान की तालिका का परीक्षण करने के उपरांत पाया कि रेमेडिएशन प्लान **स्वाईल एवं प्लान्टेशन** का समावेश करना आवश्यक है, अतः परीक्षण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

एवं resources augmentation plan प्रस्तुत किया जायें। में

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरक्षित रेमेडिएशन प्लान की तालिका।
- खनन कार्य के दौरान हुई पर्यावरण क्षति का क्वान्टीफिकेशन (Damage quantification)
- पुनरक्षित आर्गुमिंटेशन।

21. Case No 10666/2023 Shri Deepak Goyal S/o Rajendra Prasad Goyal, Partner, M/s Shri Banke Bihari Sarkar, Stone Crusher, 154, Defernse Estate, Phase-1, Bundu Katra, Gwalior Road, District-Agra (UP)-282001, Prior Environment Clearance for Bilheti Stone Mine in an area of 1.50 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 2034), Village-Bilheti, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) DEEIA to SEEIA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Deepak Goyal S/o Rajendra Prasad Goyal, Partner,, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Deepak Goyal S/o Rajendra Prasad Goyal, Partner, M/s Shri Banke Bihari Sarkar, Stone Crusher, 154, Defernse Estate, Phase-1, Bundu Katra, Gwalior Road, District-Agra (UP)-282001, Prior Environment Clearance for Bilheti Stone Mine in an area of 1.50 ha. (30,000 cum per year) (Khasra No. 2034), Village-Bilheti, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) [445066].
परियोजना का खसरा नं.	खसरा नं.-2034, एरिया- 1.50 ha.,

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

/लीज क्षेत्रफल	शासकीय भूमि (पहाड़ चरनोई)
परियोजना स्थल	ग्राम— बिल्हैटी, तहसील— गिर्द, जिला— ग्वालियर, (म.प्र.).
सैधातक सहमति	पत्र क्र०. 1585 दिनांक 13/10/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (As per Approved Mining Plan/ Parivesh Portal uploaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया, ग्वालियर के पत्र क्र०. 208 दिनांक 13/09/2018 के माध्यम से श्री प्रशांत वर्मा पुत्र स्व. श्री विकासचंद निवासी ग्वालियर के नाम से जारी की गई है। वर्तमान में नाम परिवर्तन के साथ परिवेश पोर्टल के माध्यम से वांछित जानकारी के साथ आवेदन प्राप्त हुआ है।
उत्पादन क्षमता	स्टोन — 30,000 घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.160 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/नगर निगम की अनुमति	ग्राम पंचायत— बिल्हैटी जिला — ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क्र०. 26 दिनांक 15/08/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 20 के सरल क्रमांक — 14 पर दर्ज है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के अन्दर प्लान्ट/यूनिट स्थापित है। उत्तर पश्चिम दिशा— पक्की रोड़— 71मी.

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री-एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रकरणों को डिया से दिनांक 05/10/2016 को ईसी प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

पर पाया कि फार्म-1ए में जो जानकारी दी गई है उसमें विसंगतियां हैं अतः माईनिंग प्लान में जो डेटा दिये उनको फार्म-1 में समाहित कर ड्रोन व्हीडियोग्राफी सहित प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवरो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई । बेरियर जोन खुदा हुआ है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-**30,000** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 4.00 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.66 लाख प्रति वर्ष ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

3. पिट्स में बेंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.35 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए गवर्नमेंट मिडिल विद्यालय भरोला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	1,35,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3415 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से पंक्तियों में 5 से 1 स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज अर्जुन, एवं जामुन, बांस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	15
2	ग्राम मुडेहना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

22. **Case No 10781/2023 Shri Subhash Goyal, Director, M/s Ind Mineral Explorers Private Limited, R/o 201, Shri Karishnam Apartment, North Ambajhiri Road, District-Nagpur (MH)-440022, Prior Environment Clearance for Ghadela Dolomite Quarry in an area of 4.84 ha. (32490 TPA) (Khasra No. 141P), Village-Ghadela Malaujan, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसका समिति की 707वीं बैठक दिनांक 29/12/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 21/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों के संबंध में सहायक मानचित्रकार का प्रतिवेदन दिनांक 08/08/23 अपलोड नहीं होने से एक अन्य खदान जो 02 वर्ष के लिए स्वीकृत थी की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें।
2. खदान क्षेत्र पहाड़ी पर स्थित है, अतः पहाड़ी का Ridge Side जिस ओर सघन रूट स्टैक है, को छोड़कर खनन कार्य प्रस्तावित होगा। अतः इस संबंध में पुनरक्षित सरफेस व प्रोडक्शन मैप प्रस्तुत करें।
3. पुनरक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक सुभाष गोयल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि पहाड़ी का Ridge Side जिस ओर सघन रूट स्टैक है, को छोड़कर खनन कार्य प्रस्तावित किया है। रिवाइस्ड सरफेस प्लान के अनुसार नॉन माईनेबल एरिया 2.5 हे. प्रस्तावित किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट **32490 TPA**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.24 लाख प्रति वर्ष ।
3. पहाड़ी का Ridge Side जिस ओर सघन रूट स्टैक है, को छोड़कर नॉन माईनेबल एरिया (2.5 हे.) के रूप में संरक्षित रखा जावे एवं इस क्षेत्र में आचार, महुआ, हर्रा, बेहडा, एवं बांस के पौधे लगाये जावे।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पेंच टाईगर रिजर्व के वन्य प्राणी के रहवास एवं वन्य कर्मचारी कल्याण हेतु सी.ई. आर मद से 1,00,000 की राशी प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल (म.प्र.) के खाते में हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3600
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम,

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No 9898/2023 Shri Devendra Shivhare, Owner, M/s PD MINERALS PRIVATE LIMITED, Indra Nagar, Kabrai, District- Mahoba (U.P.) Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mine in an area of 4.80 ha. (1,01,204 Tonne per annum) (Khasra No. 720/2, 700/1, 720/3, 721/2, 720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 & 700/2), Village-Mugdara, Tehsil- Nainpur, District- Mandla (MP) (EIA)

प्रस्तावित डोलोमाइट खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ई.आई.ए. का समिति की 705वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई:-

1. लीज स्वीकृति आर्डर में दर्शाये गये विभिन्न खसरे एवं उनका क्षेत्रफल एवं रजिस्ट्री दिनांक की जानकारी तालिका में दर्शाते हुये प्रस्तुत करें।
2. खदान क्षेत्र में पूर्व दिशा में पक्का रोड - लगभग 108 मी. एवं लगभग 200 मी. की दूरी पर स्थित है अतः दूरी के संबंध में एन.जी.टी./सीपीसीबी की गाईडलाइन के अनुरूप स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये पुनरक्षित सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत करें।
3. स्पष्ट करें कि दूरी के संबंध में स्थानवार मापदण्ड छोड़ने के पश्चात खदान क्षेत्र में स्थित 22 पेड में से कितने पेड काटे जायेंगे एवं कितने पेड संरक्षित किये जायेंगे।
4. खदान क्षेत्र की स्वाइल प्रोफाईल।
5. आवेदित क्षेत्र, वन सीमा से 250 मीटर से कम दूरी पर होने के कारण चैनलिंग फेन्सिंग का प्रस्ताव ई.एम.पी में प्रस्तुत करें।
6. रिवाइस्ड प्लान्टेशन स्कीम प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इन्वायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। पर्यावरणीय सलाहकार ने निम्न जानकारी प्रस्तुत की:-

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

- खदान क्षेत्र के सभी खसरे M/s PD MINERALS PRIVATE LIMITED, के नाम पर दर्ज है।
- पक्का रोड — लगभग 108 मी. एवं लगभग 200 मी. की दूरी पर स्थित है, अतः इस संबंध में स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत किया गया।
- खदान क्षेत्र में स्थित 22 पेड के विषय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इनमें से 12 पेड काटे जायेंगे एवं 10 पेड संरक्षित रखे जावेंगे। समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र में काटे जाने वाले वृक्ष के विरुद्ध 20 गुना अतिरिक्त आम के पौधे लगाकर आम की बगीचा तैयार करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **1,01,204 Tonne per annum** पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रु 4.13 लाख प्रति वर्ष।
- 2- खदान क्षेत्र में काटे जाने वाले वृक्ष के विरुद्ध 20 गुना अतिरिक्त आम के पौधे लगाकर आम की बगीचा तैयार करें।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय मुगदरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी।	80,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र मुगदरा की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	60,000
Total	1,40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Barrier Zone	Mango, Neem, Karanj, Custard Apple, Lemon, Jungle Jalebi, Khamer, Chirol, Khamer etc.	1755
2	Approach Road	Kadam, Chirol, Kachnar, Neem, Peeple and others local	200

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

		Species	
3	Distribution in Villagers (Mugdara)	Mango, Munaga, Custard Apple, Jamun, Amrud etc. others local Species	3845
4	Compensatory Plantation in Non-Mining Zone	500 mango and 700 other plant species (Kadam, Chirol, Kachnar, Neem) will be planted in non-mining zone as compensation.	1200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंद पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No 10789/2023 Ms. Dipika Sahu, Lessee, R/o Mahaveer Ward, Multai, District-Betul (MP)-460551, Prior Environment Clearance for Gopal Talai Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (6998 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Gopaltalai, Tehsil-Multai, District-Betul (MP).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए समिति की 707वीं बैठक दिनांक 29/12/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

1. खदान क्षेत्र से उत्तर पूर्व दिशा में नाला 15 मी. पर है एवं दक्षिण पूर्व दिशा में पोल्ट्रीफार्म लगभग 155 मी. की दूरी पर है अतः निर्धारित सेटबैक छोड़ते हुये पुनरक्षित सरफेस व प्रोडक्शन मैप प्रस्तुत करें।
2. गैर खनन क्षेत्र एवं बेरियर जोन में वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक दीपिका साहू एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक की ओर

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

से पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- खदान क्षेत्र से उत्तर पूर्व दिशा में नाला 15 मी. पर है एवं दक्षिण पूर्व दिशा में पोल्ट्रीफार्म लगभग 155 मी. की दूरी पर दूरी पर स्थित है अतः इस संबंध में स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया।
- खदान क्षेत्र में स्थित 05 पेड है जिनमें से **04 काटे जावेंगे।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि **काटे जाने वाले पेड अच्छी प्रजाति के है अतः 20 गुना पेड लगाये जायेंगे**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 6998 घन मी. प्रतिवर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 7.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. **काटे जाने वाले पेडों के विरुद्ध अच्छी प्रजाति 20 गुना पेड लगाये जायेंगे।**
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्रामपंचायत गोपालतलाई में अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 3 माह के अन्दर प्रदान कर दियावेगी	30,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने हेतु पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा	10,000
Total	40,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कमवृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन में वृक्षारोपण (475 मी. परिधि तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड, महुआ अचार आदि	480

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 180 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	145
3	गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण – 200 पौधे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगा हाइब्रिडए महुआ अचार आदि	200
4	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	900
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. **Case No 10741/2023 Shri Dilip Arya, Lessee, R/o Hidli Bhimpur, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)-460330, Prior Environment Clearance for Adarsh Pipariya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7840 cum per year) (Khasra No. 43/23, 43/1/K), Village Adarsh Pipariya , Tehsil- Bhainsdehi , District- Betul (M.P.).**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए समिति की 704वीं बैठक दिनांक 19/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. परियोजना प्रस्तावक ने भूमि खसरा नं. 43/24 के भू-स्वामी की सहमति पत्र परिवेश पोर्टल अपलोड किया है जबकि लीज खसरा नं. 43/1/क एवं 43/23 पर स्वीकृत है, अतः परियोजना प्रस्तावक लीज स्वीकृत खसरा नं. 43/1/क एवं 43/23 के भू-स्वामियों की सहमति पत्र प्रस्तुत करें ।

- Note:
1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक दिलीप आर्य एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	साक्ष्य प्रस्तुत किये।
● खदान क्षेत्र 02 पार्ट में है। ● खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में एक कच्ची रोड है परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 मी का सेटबैक दिया गया है। ● खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 115 मी. की दूरी पर सिचाई के लिये एक तालाब स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि यह तालाब निजि भूमि पर है जिसके लिये संबंधित भू-स्वामी से सहमति प्राप्त है।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—**7840** घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.88 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.06 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम आदर्श पिपरिया में पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 6 माह के अन्दर प्रदान की जावेगी	20,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने हेतु पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा	20,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर ज़ोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड, महुआ अचार आदि	400
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर (150 मीटर तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	120
3	शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण- 50 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1230

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राइजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

26. **Case No 10739/2023 Shri Dilip Arya, Lessee, R/o Hidli Bhimpur, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)-460330, Prior Environment Clearance for Adarsh Pipariya Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 43/8), Village-Adarsh Pipariya , Tehsil- Bhainsdehi , District- Betul (M.P.) [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए समिति की 704वीं बैठक दिनांक 19/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 29/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक दिलीप आर्य एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—5700 घनमीटर/वर्ष ।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.61 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.51 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
ग्राम आदर्श पिपरिया स्थित रोगी कल्याण समिति में उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 6 माह में प्रदान की जावेगी ।	20,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	16000/-
Total	36,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 900 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड, महुआ अचार आदि	180
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर (125 मीटर तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।	90
3	शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण- 50 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार,	50

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

		नीम, चिरोल आदि	
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	580
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राइजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

27. Case No 10101/2023 Dr. Pranjal Patel, Director, M/s Restore Health Medicare Private Limited, 26, A&B, Block-E, Panki Kanpur Nagar, District-Kanpur Nagar (UP)-208020, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 250 kg per hour with static klin" at Plot No.-3, C-Sector, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.)

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Plot no 44 and, Plot No. 3 of Sector- C, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.).

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility (CBWTF) by Restorehealth Medicare Private Limited. The project falls under Category "B" Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments under Bio- Medical Waste Treatment Facilities. The online application received through SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

The case was presented by Environment Consultant Shri Sanjay Singh, Functional Expert, Dr Shri Hari Om Sharan Dwevedi (Online), Green Enviro Engineers Pvt. Ltd. Kanpur (U.P.) and PP Shri Shailendra Bajpai with Dr Pranjal Patel, Director, on 03/08/23 wherein PP stated that Common Bio Medical Waste Treatment Facility is proposed at Plot no 44 and, Plot No. 3 of Sector- C, in Jambar Bagari, District Vidisha (Madhya Pradesh) by Restorehealth Medicare Private Limited. The following points were discussed:

- This facility is proposed to be established at two plots in the same industrial area having area of 1395.37 SqM and 4193.37 SqM respectively.
- The proposed facilities are as follows:
 - Incinerators 1 +1 No. of total capacity 250 kg/hr (Dry)
 - Autoclave 1 No. of capacity 1000 Batch/Hour
 - Shredder 1 No. of capacity 100 kg/hr
 - ETP Capacity – 10 KLD (MBBR based)
- The incinerator and all machineries are proposed to be establishing at one plot and administrative building with vehicle parking at another plot in the same industrial area.
- At present, there are around 1608 beds having around 284 kgper day BMW generation potential which may not be considered economically feasible for independent facility.
- At present, the BMW generated from the hospitals of the Vididsha Distt are attached to the facility at Sehore.
- As per the “Location Criteria for Development of a CBWTF” mentioned in 9.0 (a) of the guidelines issued by the CPCB:
(a) Preferably, a CBWTF shall be setup on a plot size of not less than one acre in all the areas. However, a CBWTF can be developed in adjacent plots but can not be set up in two or more different plots located in different areas. Separate plots can be permitted only for vehicle parking if located in the close vicinity of the proposed CBWTFS or existing CBWTF.

As described above, the proposed land is available in two pieces which are not adjacent and hence, may not be considered suitable looking to the nature of the activities.

Looking to the above conditions, the committee is of the opinion that:

The Project Proponent shall try to get additional plot adjoining the plot earmarked for establishment of the plant and machinery. The PP may request to the Industry Department to have a letter accordingly.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

Earlier this case was delisted by the committee in the SEAC 695th meeting dated 21.11.2023 in the absence of query/clarification was not submitted by PP. SEIAA Case delisted in 819 SEIAA meeting dated 06-12-2023. Case delisted vide letter no. 2279-80 dated 18-12-23.

The project proponent submitted clarification on 05.01.2024 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 695th meeting held on 03.08.2023.

With reference to above matter PP and their Environment Consultant stated that regarding location criteria, they have written a letter to the General Manager, MPIDC, Regional Office Bhopal regarding proposed “Project **Proponent shall try to get additional plot adjoining the plot earmarked for establishment of the plant and machinery.**” But till date they have not received any response / reply from the MPIDC.

The committee after discussion decided in the light of the above that SEAC shall write to General Manager, MPIDC, Regional Office Bhopal and Unit Head, Bio-medical Section, MPPCB in this matter.

28. **Case No 11155 /2023 Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001 Prior Environment Clearance for Industrial Park Dhar Bhensola in an area of 384.26 ha. at Bhainsola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) category (c)[453336]**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Development of Smart Industrial Township Pithampur Sector-07 (Investment Region Development And Management Scheme) At Pithampur District Dhar, Indore In Madhya Pradesh By M. P. Industrial Development Co. Ltd., Category : 7(c) Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones.

The case was presented by PP Shri H.K. Paul behalf of PP form, MPIDC Limited proposes to develop Smart Industrial Township Phase-I with multi-specialty manufacturing facility in-line with the development policy to increase the GDS share in manufacturing sector in Dhar District with 453 hac. of Greenfield land. Few of the objectives that strive to achieve are:

Executive Summary

MP Industrial Development Corporation (MPIDC) is a Government of Madhya Pradesh Undertaking organization with an objective of providing industrial infrastructure through development of industrial areas. With a view to achieve sustainable economic transformation in Madhya Pradesh, a strong growth impetus on the manufacturing sector has been laid by Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. As part of this strategic roadmap MPIDC, is undertaking activities related to preparation of Master Planning and Preliminary Engineering for INDUSTRIAL PARK BHENSOLA, Dis. DHAR MADHYA PRADESH with an area of 384 Ha. The development of Industrial Park Bhensola industrial area will be of 384 Ha. Project considered as Schedule 7(c) – Industrial Area, Category-B. To fulfill this objective, MPIDC has given Detailed Master Plan and Preliminary Design Report for Roads & Services/ Utilities for “DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARK BHENSOLA” IN DHAR, MADHYA PRADESH in this feasibility report. It is important to note that the development of the INDUSTRIAL PARK BHENSOLA would help in developing the whole region of nearby districts by creating better industrial infrastructure, social infrastructure, employment for the region with overall development of region. Will also give a boost to Atmanirbhar Bharat initiative. INDUSTRIAL PARK is in Bhensola, Tehsil: Badnawar, Dist.: Dhar, MP, Madhya Pradesh.

Location

The proposed site is 100 Km away from commercial capital of MP & a hub for all major business activities in the Western part of the state- Indore. The strategic location of site with good transport facility offers comfortable access to site and other cities of India. The North side approach road is SH-18. The internal road of the industrial area will also be well developed.

Salient Features

Industrial Park Bhensola is an integrated industrial park with manufacturing industries and MSMEs:

- Maximum land parcel has already been allotted to MPIDC and hence there is no need for tedious & lengthy acquisition process.
- No Environmental Sensitive areas within 10 km radius from the proposed site.
- The land use of the site under consideration is predominantly barren/unculturable/partly agricultural crop/plantations, waterbodies/streams/quarrying area.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

- Socio-economically the project site is nearer to villages in the Dhar district and hence there shall be employment generation for approx. 4 Lakhs people directly and indirectly.
- Development of amenities like Health center, training and skill development centers, Commercial places (hotels, cafes & shops) etc.
- With the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat for making India a global hub for manufacturing and exports, MPIDC has proposed Industrial Park At Bhensola.
- The Proposed Integrated Industrial Park in total area of 384 Hectares at Village: Bhensola, Tehsil: Badnawar, Dist.: Dhar, MP.
- MPIDC has proposed this scheme aimed at strengthening the manufacturing industry of state as well as India by attracting investments in creation of integrated infrastructure to increase the scale of operations, reduce logistics costs, increase export potential, and generate employment in the country.
- The Industrial Park Bhensola will accommodate industries that are classified for Environment clearance and are categorized as Category B as per EIA Notification 2006. Industrial Park will also accommodate other industries that are not classified in the EIA Notification 2006.
- Multiple sites were critically evaluated by MPIDC after which they finalized the location for integrated industrial park in Village: Bhensola, Tehsil: Badnawar, Dist.: Dhar, MP.

The following details were submitted by the PP on Parivesh are as given below:

Form –II Details			
SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	SIA/MP/INFRA1/453336/2023.	
2.	Proposal /Activity Name	Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, E-mail-ajaykumarjain61@gmail.com, Mobile-9424010662	
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for Industrial Park Dhar Bhensola in an area of 384.26 ha. at Bhainsola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) [453336] <u>Cat. 7(h) Common Effluent Treatment Plants (CETPs).</u>	
4.	Description of Project	Proposed Industrial Park is an environment where state-of-the-art facilities engage in a reciprocal relationship with dynamic form. Together they create a	

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

		special place that caters to every aspect of industrial integrity. will The availability of road, railway, and port infrastructure within the vicinity of the site makes it highly attractive site for the park.	
5.	EC Status	New.	
6.	ToR Status	Proposed.	
7.	Project Cost Rs.	21000.411	
8.	Affidavit	Submitted regarding NO Construction /Production Activity pertaining to this Project.	
9.	Area in ha.	384 ha.	
10.	Production Qty. in	Proposed 1 MLD Common Effluent Treatment Plant based on ZLD	-
11.	CGWA / Gram Sabha NOC	NVDA letter No. 745 dated 28/10/13.	
12.	Range of ground water table (post monsoon	0.80 To 10.48 (m bgl)	
Documentary Details			
13.	Lease Agreement/ LoI		
14.	P-II form (Khasra Panchshala)	NA	
15.	Tehsildar Certificate	NA	
16.	DFO NOC	Ok Letter No.- 3843 date 27/08/21.	
17.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	1 MLD Common Effluent Treatment Plant based on ZLD	
18.	Env. Con.	MITCON Consultancy and Engineering Services Ltd., Pune (MS) Valid up to Feb 05, 2024,	
19.	CTO/CTE	NA	
20.	DSR		
21.	PFR	Ok ENVIRONMENT CONSULTANT MITCON Pune (MS)	
22.	EMP	The greenbelt for proposed project is 33% of plot area i.e. 2598 Sq. m. Around 100 Nos. of trees of different species have been suggested for the project.	
23.	Risc Assesment	Ok	
24.	Any tree cutting proposed is observed	-	
25.	Replenishment plan (Sand)	NA - --- m ³ /year.	---
26.	Google image status	Coordinates	

Committee after deliberations decided that being it's a case of Industrial Estate /Park project falls under 7-c category hence, standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

- 1) The PP has considering two project separately in vicinity (under case no. 11155/23 & 11156/24) please justify with logical reason .
- 2) Opinion of WRD w.r.t. nearby Mahi river in the east side of the project and stop dam .
- 3) Agreement copy of the PP and WRD wrt river/dam water uses.
- 4) Explore possibility of installation of dying units from the Mahi river as far as possible.
- 5) The Dying units falls under 17 types polluting units hence, covers all safeguards given in the CPCB/MPPCB guidelines in this regards.
- 6) Landuse details of the project are (forest land / Agriculture land) with details of land ownership.
- 7) Depict green belt area on map with tabulatr presentation of plantation scheme in the table with location- wise, species, plantation no. etc.
- 8) Vehicle arrangement for parking including floating population.
- 9) Proposed green area development for this project upto 12 % in the EIA report.
- 10) PP shall submit details of land acquired and its utilization.
- 11) Carbon foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- 12) Reasons for selecting the site with details of alternate sites examined/rejected/selected on merit with comparative statement and reason/basis for selection. The examination should justify site suitability in terms of environmental damage, resources sustainability associated with selected site as compared to rejected sites. The analysis should include parameters considered along with weightage criteria for short-listing selected site.
- 13) Submit the details of the land use break-up for the proposed project. Details of land use around 10 km radius of the project site. Analysis should be made based on latest satellite imagery for land use with raw images. Check on flood plain of any river.
- 14) Submit details of environmentally sensitive places, land acquisition status, rehabilitation of communities/ villages and present status of such activities.
- 15) Examine the impact of proposed project on the nearest settlements.
- 16) Examine baseline environmental quality along with projected incremental load due to the project taking into account of the existing developments nearby.
- 17) Submit a copy of the contour plan with slopes, drainage pattern of the site and surrounding area, and any obstruction of the sme by the project.
- 18) Details regarding project boundary passing through any eco- sensitive area and within 10 km from eco- sensitive area (if any).
- 19) Green buffer in the form of green belt to a width of 15 meters should be provided all along the periphery of the industrial area. The individual units should keep 33% of the allotted area as a green area.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

- 20) Submit the details of the trees to be felled for the project.
- 21) Submit the details of the infrastructure to be developed.
- 22) Submit the present land use and permission required for any conversion such as forest, agriculture etc.
- 23) Submit details regarding R&R involved in the project (if any).
- 24) Zoning of the area in terms of 'type of industries' coming-up in the industrial area based on the resource requirement along with likely pollutants with quantity from the various industries.
- 25) The project boundary area and study area for which the base line data is generated should be indicated through a suitable map. Justification of the parameters, frequency and locations shall be discussed in the EIA.
- 26) Site justification of the identified industry sectors from environmental angle and the details of the studies conducted if any.
- 27) Ground water classification as per the Central Ground Water Authority.
- 28) Submit the source of water, requirement vis-à-vis waste water to be generated along with treatment facilities, use of treated waste water along with water balance chart taking into account all forms of water use and management.
- 29) Rain water harvesting proposals should be made with due safeguards for ground water quality. Maximize recycling of water and utilization of rain water. Examine details.
- 30) Examine soil characteristics and depth of ground water table for rainwater harvesting.
- 31) Examine details of solid waste generation treatment and its disposal.
- 32) Examine and submit details of use of solar energy and alternative source of energy to reduce the fossil energy consumption.
- 33) A detailed traffic and transportation study should be made for existing and projected passenger and cargo traffic.
- 34) Examine the details of transport of materials for construction which should include source and availability.
- 35) Examine the details of National Highways/State Highways/ expressways falling along the corridor and the impact of the development on them.
- 36) Examine noise levels - present and future with noise abatement measures.
- 37) Identify, predict and assess the environmental and sociological impacts on account of the project. A detailed description with costs estimates of CSR should be incorporated in the EIA / EMP report.
- 38) Examine separately the details for construction and operation phases both for Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan with cost and parameters.
- 39) Submit details of a comprehensive Disaster Management Plan including emergency

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

evacuation during natural and man-made disaster.

- 40) The Public hearing should be conducted for the project in accordance with provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and the issues raised by the public should be addressed in the Environmental Management Plan. The Public Hearing should be conducted based on the TOR letter issued by the Ministry and not on the basis of Minutes of the Meeting available on the web-site.
- 41) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any Court of Law against the Project should be given.
- 42) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards implementation of EMP/CER should be clearly spelt out.

29. Case No 11156 /2023 Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for PM Mitra Park in an area of 497.06 ha. MP Industrial Development Corporation (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park at Bhainsola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) [452495]

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Development of Smart Industrial Township Pithampur Sector-07 (Investment Region Development And Management Scheme) At Pithampur District Dhar, Indore In Madhya Pradesh By M. P. Industrial Development Co. Ltd., Category : 7(c) Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones.

The case was presented by PP Shri H.K. Paul behalf of PP form, MPIDC Limited proposes to develop Smart Industrial Township Phase-I with multi-specialty manufacturing facility in-line with the development policy to increase the GDS share in manufacturing sector in Dhar District with **497.06 ha.** of Greenfield land. Few of the objectives that strive to achieve are:

The following details were submitted by the PP on Parivesh are as given below:

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

Form –II Details		Case No. -11156/2024
SN	Projects Details Remarks	
27.	Online Proposal No	SIA/MP/INFRA1/452495/2023.
28.	Proposal /Activity Name	Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District - Indore (MP)-452001.
29.	Location of Project	Prior Environment Clearance for PM Mitra Park in an area of 497.06 ha. MP Industrial Development Corporation (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park at Bhainsola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) [452495] Cat. 7(c). Project.
30.	Description of Project	The Ministry of Textiles, Government of India has launched the PM MITRA scheme aimed at strengthening the Indian textile industry by attracting investments in the creation of integrated infrastructure to increase the scale of operations, reduce logistics costs, increase export potential, and generate employment in the country. To create a self-sustainable ecosystem within the park. The State Government through MP Industrial Development Corporation (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park with a complete state of the art manufacturing facilities. The State Government through (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park with a complete state of the art manufacturing facilities. The development strategy of the proposed project is based on the 5F Concept (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) which includes the complete textile value chain starting from ginning, spinning, weaving, knitting and Textile processing.
31.	EC Status	New.
32.	ToR Status	Proposed.
33.	Project Cost Rs.	33900.834 Lakhs.
34.	Affidavit	PP letter Submit letter No. 14883 dated 20/10/2023 NO Construction /Production Activity pertaining to this Project.
35.	Development of Integrated Textile and Apparel Park under PM MITRA	497.06 ha.
36.	DG Set details	2 x 500 kVA will be utilized as a backup for common amenities. The standby DG will be implemented by the individual industries.
37.	DFO NOC	PP Apply letter No. dated 20/12/2023.
38.	PWD NOC	PP Apply letter No. 14881 dated 20/12/2023.
Documentary Details		
39.	Env. Con.	Not disclosed.
40.	CTO/CTE	NA
41.	Water Supply	EEWRD Div.-1 Jhabua letter No. 1080 date 17/04/2023.
42.	PFR	Submitted.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

Committee after deliberations decided that being it's a case of Industrial Estate /Park project falls under 7-c category hence, standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

- 1) The PP has considering two project separately in vicinity (under case no. 11155/23 &11156/24) please justify with logical reason .
- 2) Opinion of WRD w.r.t. nearby Mahi river in the east side of the project and stop dam .
- 3) Agreement copy of the PP and WRD wrt river/dam water uses.
- 4) Explore possibility of installation of dying units from the Mahi river as far as possible.
- 5) The Dying units falls under 17 types polluting units hence, covers all safeguards given in the CPCB/MPPCB guidelines in this regards.
- 6) Landuse details of the project are (forest land / Agriculture land) with details of land ownership.
- 7) Depict green belt area on map with tabulatr presentation of plantation scheme in the table with location- wise, species, plantation no. etc.
- 8) Vehicle arrangement for parking including floating population.
- 9) Proposed green area development for this project upto 12 % in the EIA report.
- 10) PP shall submit details of land acquired and its utilization.
- 11) Carbon foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
- 12) Reasons for selecting the site with details of alternate sites examined/rejected/selected on merit with comparative statement and reason/basis for selection. The examination should justify site suitability in terms of environmental damage, resources sustainability associated with selected site as compared to rejected sites. The analysis should include parameters considered along with weightage criteria for short-listing selected site.
- 13) Submit the details of the land use break-up for the proposed project. Details of land use around 10 km radius of the project site. Analysis should be made based on latest satellite imagery for land use with raw images. Check on flood plain of any river.
- 14) Submit details of environmentally sensitive places, land acquisition status, rehabilitation of communities/ villages and present status of such activities.
- 15) Examine the impact of proposed project on the nearest settlements.
- 16) Examine baseline environmental quality along with projected incremental load due to the project taking into account of the existing developments nearby.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

- 17) Submit a copy of the contour plan with slopes, drainage pattern of the site and surrounding area, and any obstruction of the same by the project.
- 18) Details regarding project boundary passing through any eco- sensitive area and within 10 km from eco- sensitive area (if any).
- 19) Green buffer in the form of green belt to a width of 15 meters should be provided all along the periphery of the industrial area. The individual units should keep 33% of the allotted area as a green area.
- 20) Submit the details of the trees to be felled for the project.
- 21) Submit the details of the infrastructure to be developed.
- 22) Submit the present land use and permission required for any conversion such as forest, agriculture etc.
- 23) Submit details regarding R&R involved in the project (if any).
- 24) Zoning of the area in terms of 'type of industries' coming-up in the industrial area based on the resource requirement along with likely pollutants with quantity from the various industries.
- 25) The project boundary area and study area for which the base line data is generated should be indicated through a suitable map. Justification of the parameters, frequency and locations shall be discussed in the EIA.
- 26) Site justification of the identified industry sectors from environmental angle and the details of the studies conducted if any.
- 27) Ground water classification as per the Central Ground Water Authority.
- 28) Submit the source of water, requirement vis-à-vis waste water to be generated along with treatment facilities, use of treated waste water along with water balance chart taking into account all forms of water use and management.
- 29) Rain water harvesting proposals should be made with due safeguards for ground water quality. Maximize recycling of water and utilization of rain water. Examine details.
- 30) Examine soil characteristics and depth of ground water table for rainwater harvesting.
- 31) Examine details of solid waste generation treatment and its disposal.
- 32) Examine and submit details of use of solar energy and alternative source of energy to reduce the fossil energy consumption.
- 33) A detailed traffic and transportation study should be made for existing and projected passenger and cargo traffic.
- 34) Examine the details of transport of materials for construction which should include source and availability.
- 35) Examine the details of National Highways/State Highways/ expressways falling along the corridor and the impact of the development on them.
- 36) Examine noise levels - present and future with noise abatement measures.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 जनवरी 2024

- 37) Identify, predict and assess the environmental and sociological impacts on account of the project. A detailed description with costs estimates of CSR should be incorporated in the EIA / EMP report.
- 38) Examine separately the details for construction and operation phases both for Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan with cost and parameters.
- 39) Submit details of a comprehensive Disaster Management Plan including emergency evacuation during natural and man-made disaster.
- 40) The Public hearing should be conducted for the project in accordance with provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and the issues raised by the public should be addressed in the Environmental Management Plan. The Public Hearing should be conducted based on the TOR letter issued by the Ministry and not on the basis of Minutes of the Meeting available on the web-site.
- 41) Details of litigation pending against the project, if any, with direction /order passed by any Court of Law against the Project should be given.
- 42) The cost of the Project (capital cost and recurring cost) as well as the cost towards implementation of EMP/CER should be clearly spelt out.

सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘B’

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 29 जनवरी 2024

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 29 जनवरी 2024

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
37. **FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**
- Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
 - Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
 - A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
 - The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.
38. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मैप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
40. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मैप में दर्शाये।
41. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

42. CER योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
43. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्विंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

719वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी 2024

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम ठतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल